राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग

क्रमांक प. 15 (1) प्रसु/अनु–1/2014 जयपुर, दिनांकः 23 फरवरी, 2015

समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान

विषयः–शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त करने, दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि लगाने तथा परिवादों/शिकायतों/आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद देने बाबत।

संदर्भः–इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.02.2015

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.02.2015 के माध्यम से निम्नांकित निर्देश जारी किये गये थेः–

1. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F.15 (1)AR/Gr-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 1 जनवरी, 2015 से शपथ पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और दस्तावेजों के स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति लगाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के इन आदेशों का आम जन तक लाभ पहुंचाने के लिए सभी कार्यालयों के सूचना पट्ट एवं स्पष्ट दृश्य स्थान पर निम्नांकित स्लोगन वाल पेंटिंग्स के माध्यम से अंकित किये जावेंः–

   "राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2015 से शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाने की व्यवस्था की है।"

2. राज्य सरकार के आदेश प. 3 (8)प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत/कार्यालय में प्राप्त होने वाले परिवाद/शिकायत/आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद दिया जाना आवश्यक है। अतः आम जन की सुविधा हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत/अन्य कार्यालयों के सूचना

पट्ट/पोस्टर/दीवार लेखन अथवा स्पष्ट दृश्य स्थान पर निम्नांकित स्लोगन अंकित किये जावें:–

(अ) ग्राम पंचायत हेतु:–

"यहां समस्त विभागों से संबंधित परिवाद/परिवेदनाएं/प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। पावती रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है।"

(ब) संबंधित विभागों के कार्यालयों के सूचना पट्ट हेतु :–

"यहां पर इस विभाग/कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के परिवाद/शिकायत/ प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। प्राप्ति रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है।"

राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 05 फरवरी, 2015 के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद एवं अन्य समस्त कार्यालयों पर दिनांक 28.02.2015 तक स्लोगन अंकित कराके जिला कलक्टर एवं विभागाध्यक्ष **दिनांक 03.03.2015** तक निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रेषित करें:–

"प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सभी ग्राम पंचायतों/अन्य कार्यालयों के सूचना पट्ट/दीवार लेखन एवं स्पष्ट दृश्य स्थान पर राज्य सरकार के परिपत्र प. 15 (1) प्रसु/अनु–1/2014 दिनांक 05 फरवरी, 2015 की पालना में स्लोगन अंकित करा दिये हैं और इन निर्देशों की पूर्ण पालना की जा रही है।"

3. उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 16 (1)प्रसु/अनु–1/2014 दिनांक 24.12.2014 के अनुसार ग्राम पंचायतों के क्लस्टरों हेतु नियुक्त एडोप्टर्स के नाम, पद एवं मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायतों के सूचना पट्ट/स्पष्ट दृश्य स्थान पर दीवार लेखन (Wall Painting) कर दी गई है। इस संबंध में संबंधित जिला कलक्टर दिनांक **03.03.2015** तक निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रेषित करें:–

"प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मैंने ग्राम पंचायतों के कलस्टर्स हेतु नियुक्त किये गये एडोप्टर्स के नाम, पद एवं मोबाइल नम्बर संबंधित ग्राम पंचायतों के सूचना पट्ट/दीवार लेखन/स्पष्ट दृश्य स्थान पर अंकित करा दिये हैं।"

उक्त निर्देशों में किसी भी स्तर पर चूक/लापरवाही को गम्भीरता से लिया जाकर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

कृपया उक्त वांछित सभी सूचनाएं ई-मेल आई.डी. cmv@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करावें।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. सचिव, (प्रथम/द्वितीय)/विशिष्ट सचिव मा. मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी-समस्त राजकीय उपक्रम/निगम/मंडल/स्वायत्तशासी निकाय/जिला परिषद
5. रक्षित पत्रावली।

23/2/15

(बन्ना लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज